ग्रामीण अनाज बैंक योजना

ग्रामीण अनाज बैंक योजना पहले 11 राज्यों में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई थी। तथापि, यह योजना दिनांक 24.11.2004 से खाद्य और सार्वजनिक वितरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा की अवधि के दौरान या खाद्यान्नों की कमी के नरम मौसम में, जब खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित गरीब परिवारों के पास राशन खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, उन्हें भुखमरी से सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसे लोग, जिन्हें खाद्यान्न की जरूरत होती है, ग्रामीण अनाज बैंक से अनाज उधार ले सकेंगे। अनाज बैंकों की स्थापना सूखा प्रवण क्षेत्रों, गर्म और ठंडे रेगिस्तान क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और ऐसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों, जिनका संपर्क बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण कट जाता है, में की जानी है। इन गांवों को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित किया जाना है। इस योजना में खाद्य की कमी वाले क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा चिह्नित गांवों के सभी इच्छुक बीपीएल/एएवाई परिवारों को शामिल करने का विचार है। उधार दिए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा और उसे चुकाने की अवधि समूह द्वारा स्वयं तय की जानी है। राज्य सरकार द्वारा पहचान की गई ग्राम पंचायतें/ग्राम सभा, स्व सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन आदि अनाज बैंक चलाने के लिए पात्र हैं।

दिनांक 01.01.2014 से इस योजना को बंद कर दिया गया है।

वित्त वर्ष	बजट अनुमान (बीई)	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक व्यय (एई)
2012-13	8.00	1.00	0.9914
2013-14	2.00	00.00	00.00
2014-15	**दिनांक 01.01.2014 से इस योजना को बंद कर दिया गया है।**		
2015-16			